



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072022-237601
CG-DL-E-27072022-237601

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]
No. 185]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरूआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022
मामला सं. ए डी (ए सी)-03/2022

विषय : चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित हाईटेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कथित प्रवंचना से संबंधित प्रवंचनारोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 7/9/2022-डीजीटीआर.—1. मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे यहां आगे “आवेदक” अथवा “याचिकाकर्ता” भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे “अधिनियम” भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि चीन जन.गण. (जिसे आगे “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाई हाईटेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न” (जिसे आगे “विचाराधीन उत्पाद” या “पीयूसी” अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की संबद्ध वस्तु के वर्णन, नाम या संघटन में परिवर्तन के माध्यम से प्रवंचना की जा रही है।

क. पृष्ठभूमि

2. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 24 मई, 2018 की अधिसूचना सं. सं. 6/12/2017-डीजीएडी के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम अधिसूचित किए थे उसमें चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित “हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न” के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। तत्पश्चात वित्त मंत्रालय ने चीन जन.गण. से संबद्ध संबद्ध वस्तु पर 9 जुलाई, 2018 की अधिसूचना सं. 35/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद, पूर्ववर्ती जांच में यथा परिभाषित “हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न” (जिसे यहां आगे ‘एचटीपीवाई’ अथवा ‘आईडीवाई’ अथवा ‘विचाराधीन उत्पाद’ अथवा पीयूसी या संबद्ध वस्तु भी कहा गया है), है। चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क 8 जुलाई 2023 तक लागू है।
4. विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग टायर कोर्ड फैब्रिक, सीट बेल्ट वेबिंग, जियो ग्रिड, जियो स्लिंग्स, रोप्स, सिंगल कॉर्ड, कोटेड फैब्रिक, कन्वेयर बेल्ट फैब्रिक, रब्राइज्ड होज, फायर होज, ऑटोमेटिक होज आदि के निर्माण में किया जाता है। इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 के अधीन सीमाशुल्क टैरिफ वर्गीकरण 5402 20 90 के तहत वर्गीकृत किया है।

ग. जांच के अधीन उत्पाद (पी यू आई)

5. जांचाधीन उत्पाद जो चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद पर लागू पाटनरोधी शुल्क की कथित रूप से प्रवंचना कर रहा है, निम्नानुसार है:
- (क) 1000 डेनियर से कम, परंतु 840 डेनियर से अधिक का हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न जिसमें अधेसिव एक्टीवेटेड और अन्य दोनों हों (पीयूआई I)
- (ख) 6000 डेनियर से अधिक परंतु 7000 डेनियर से कम के हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न (पीयूआई II)
- (ग) 1000 डेनियर से अधिक, परंतु 1300 डेनियर से कम के अधेसिव एक्टीवेटेड हाई टेनासिटी पॉलिएस्टर यार्न (पीयूआई III)।
6. जांचाधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 54 के अधीन टैरिफ कोड 5402 20 90 के तहत भी वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और जांच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में एक प्रमुख उत्पादक है। आवेदक ने दावा किया है कि वह संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या उत्पादक अथवा भारत में विचाराधीन उत्पाद अथवा जांचाधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। आवेदन वेलनोन पॉलिएस्टर लिमिटेड द्वारा समर्थित है। उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

ड. कथित प्रवंचना के आधार

8. प्रवंचनारोधी जांच के लिए आवेदन विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर अधिसूचना सं. 35/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 9 जुलाई, 2018 के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद पर लागू पूर्वोक्त मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को निम्नलिखित के आधार पर बढ़ाने की मांग करते हुए दायर किया गया है :
- (क) चीन के उत्पादकों द्वारा संबद्ध वस्तु के वर्णन, नाम या संघटन में बदलाव के पश्चात उत्पाद का निर्यात करके विचाराधीन उत्पाद पर लागू पाटनरोधी शुल्क को परिवर्धित किया जा रहा है।
- (ख) यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद मानक डेनियर में उत्पादित और बेचा जाता है, तथापि, चीन जन.गण. से केवल लागू शुल्कों की प्रवंचना के लिए असामान्य डेनियर में यार्न आयातित किए जा रहे हैं।
- (ग) प्रमुख उत्पादकों के ब्राशर यह दर्शाएंगे कि ऐसे जांचाधीन उत्पाद किसी उत्पादक द्वारा बिक्री हेतु प्रस्तावित नहीं है।

- (घ) जांचाधीन उत्पाद के आयात केवल पाटनरोधी शुल्क के लागू होने के बाद ही बढ़ें हैं।
- (ङ) ऐसे जांचाधीन उत्पाद को केवल चीन से आयातित किया जा रहा है। अन्य देशों से जांचाधीन उत्पाद को कोई आयात नहीं हुए हैं।
- (च) चीन जन.गण. के भीतर भी ऐसे उत्पादक जो मूल जांच में शुल्क से छूट प्राप्त थे, इन डेनियरों का निर्यात नहीं कर रहे हैं। जांचाधीन उत्पाद का निर्यात केवल उन उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है, जिन पर शुल्क लागू है।
- (छ) भारत में उपभोक्ताओं द्वारा जांचाधीन उत्पाद की कोई मांग नहीं की और भारतीय उत्पादक भी इन डेनियरों का उत्पादन कर रहे हैं।

9. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सकारात्मक प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि एक परिपाटी, प्रक्रिया या ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप व्यापार के पैटर्न में परिवर्तन हुआ है, जिसके लिए शुल्क लागू होने के अलावा, अधूरे कारण या आर्थिक औचित्य बताए गए हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रथमदृष्टया दर्शाती है कि शुल्क के उपचारात्मक प्रभावों को निष्प्रभावी किया जा रहा है और समान उत्पाद के लिए सामान्य मूल्य के संबंध में पाटन पहले से सिद्ध हुआ है।
10. घरेलू उद्योग ने जांच की शुरुआत की तारीख से परिवंचित उत्पादों अर्थात् पीयूआई I, पीयूआई II और पीयूआई III पाटनरोधी शुल्क को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने का अनुरोध भी किया है।

च. जांच की शुरुआत

11. चीन जन.गण. से पीयूआई के आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के बाद कि व्यापार की प्रवृत्ति, नाम में परिवर्तन, विवरण या संघटन में ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसके लिए आर्थिक औचित्य का अभाव है, पाटन और इसके कारण मौजूदा पाटनरोधी उपाय के व्यापार उपचारात्मक प्रभावों को बाजार हिस्से में गिरावट के रूप में निष्प्रभावी किया गया है, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 27(3) के अनुसार चीन जन.गण. से पीयूआई I, पीयूआई II और पीयूआई III के आयातों पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 9 क (1क) और नियमावली के नियम 25 के अनुसार परिवंचनारोधी जांच की शुरुआत करते हैं। अतः प्राधिकारी जांच की शुरुआत की तारीख से चीन जन.गण. से पीयूआई I, पीयूआई II और पीयूआई III के सभी आयातों संबंधी अनंतिम आकलन की सिफारिश करते हैं।

छ. जांच की अवधि

12. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 (12 माह) की है और क्षति अवधि में 1 अप्रैल, 2018-31 मार्च, 2019, 1 अप्रैल, 2019 – 31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल 2020 -31 मार्च, 2021 और जांच की अवधि शामिल होगी।

ज. प्रवंचना करने वाले देश

13. लागू पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना करने में शामिल देश चीन जन. गण. है।

झ. सूचना प्रस्तुत करना

14. COVID-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, सभी संचार जांच दल को ईमेल पते dd13-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से पर्यवेक्षक और संरक्षक adg13-dgtr@gov.in adv12-dgtr@gov.in और dgtr-india@gov.in को एक प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
15. संबद्ध देश में निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को नीचे निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

16. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
17. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार के लिए अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने हेतु उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
18. सभी हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध है कि वे डीजीटीआर की वैबसाइट <http://www.dgtr.gov.in> के माध्यम से जांच पर नजर बनाए रखें।

ट. समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को उसे प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
20. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।
22. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।
 28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।
- ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**
29. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डी जी टी आर की वेबसाइट पर इस अनुरोध के साथ अपलोड की जाएगी कि वे अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें क्योंकि वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण सार्वजनिक फाइल भौतिक रूप में उपलब्ध नहीं रहेगी।
- ढ. असहयोग**
30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

Case No. - AD (AC) - 03/2022

Subject : Initiation of anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention of anti-dumping duty imposed on imports of High Tenacity Polyester Yarn originating in or exported from China PR.

F. No. 7/9/2022-DGTR.—1. M/s. Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “Applicant” or the “Petitioner”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), alleging that the anti-dumping duty imposed on imports of High Tenacity Polyester Yarn (hereinafter also referred to as “product under consideration” or “PUC” or “subject goods”), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the “subject country”) are being circumvented by way of changes in the description, name or composition of the subject goods.

A. BACKGROUND

2. The Designated Authority notified final findings recommending the definitive anti-dumping duty on import of High Tenacity Polyester Yarn originating in or exported from China PR vide Notification Number No 6/12/2017- DGAD dated 24th May 2018. The Ministry of Finance, thereafter, imposed the anti-dumping duty on the subject goods from China PR vide Notification No. 35/2018 – Customs (ADD) dated 9th July 2018.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration in the present investigation, as defined in the earlier investigation, is “High Tenacity Polyester Yarn” (also referred to as ‘HTPY’ or ‘IDY’ or ‘product under

consideration' or PUC or subject goods). The anti-dumping duty on imports of the product under consideration from China PR is in force till 8th July 2023.

4. The product under consideration is used for the manufacturing of tyre cord fabric, seat belt webbing, geo grid, geo slings, ropes, single cord, coated fabric, conveyer belt fabric, rubberized hose, fire hose, automatic hose etc. It is classified under Chapter 54 of the Customs Tariff Act 1975, under the customs tariff classification 5402 20 90.

C. PRODUCT UNDER INVESTIGATION (PUI)

5. The product under investigation which is allegedly circumventing the anti-dumping duty imposed on the product under consideration originating or imported from China PR are:
 - a) High tenacity polyester yarns of less than 1000 denier, but more than 840 denier, both adhesive activated and others (PUI I).
 - b) High tenacity polyester yarns of more than 6000 denier, but less than 7000 denier (PUI II).
 - c) Adhesive activated high tenacity polyester yarns of more than 1000 denier, but less than 1300 denier (PUI III).
6. The product under investigation is also classified under Chapter 54 of the Custom Tariff Act, 1975 under the tariff code 5402 20 90. However, customs classification is indicative only and, in no way, binding on the scope of the investigations.

D. DOMESTIC INDUSTRY

7. The application has been filed by M/s. Reliance Industries Limited. The applicant is a major producer in India. The applicant has claimed that it is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the product under consideration or product under investigation in India. The application is supported by Wellknown Polyesters Limited. On the basis of the information available, the Authority is satisfied that the application has been made 'by or on behalf of the domestic industry' in terms of Rule 2 (b) of the Rules.

E. GROUNDS FOR ALLEGED CIRCUMVENTION

8. The application for anti-circumvention investigation has been filed seeking extension of the aforesaid existing anti-dumping duty levied on product under consideration vide Notification No. 35/2018 – Customs (ADD) dated 9th July 2018 on imports of product under investigation on the basis of the following:
 - a) The anti-dumping duty levied on the product under consideration is being circumvented by Chinese producers by exporting the product after altering the description, name or composition of the subject goods.
 - b) While the product under consideration is produced and sold in standard deniers, yarn in abnormal deniers is being imported from China PR only to circumvent the duties in force.
 - c) Brochures of major producers would show that such product under investigation is not offered for sale by any producer.
 - d) The imports of product under investigation have increased only after the imposition of anti-dumping duty.
 - e) Such product under investigation is being imported only from China PR. There are no imports of product under investigation from other countries.
 - f) Even within China PR, the producers that were exempted from the duties in the original investigation are not exporting these deniers. The product under investigation is being exported only by the producers subject to duties.
 - g) There was no demand for the product under investigation by the customers in India and even the Indian producers are not producing these deniers.
9. Having satisfied itself on the basis of the positive prima facie evidence submitted by the domestic industry, the Authority notes that there is a change in the pattern of trade, as a result of a practice,

process or work for which there is insufficient cause or economic justification other than the imposition of the duty. The information submitted by the applicant prima facie indicates the remedial effects of the duty being undermined, and of dumping in relation to normal value previously established for the like product.

10. The domestic industry has also requested retrospective imposition of the anti-dumping duty on circumventing products, that is, PUI I, PUI II and PUI II from the date of initiation of the investigation.

F. INITIATION

11. On the basis of the duly substantiated application filed by the domestic industry regarding imports of PUI from China PR and having satisfied itself that there is a change in pattern of trade, alteration of name, description or composition for which there is a lack of economic justification, dumping, and because of that, trade remedial effects of the existing anti-dumping measure has been undermined in terms of decline in market share, the Authority hereby initiates an anti-circumvention investigation in accordance with Section 9A(1A) of the Act and Rule 25 of the Rules to consider extension of existing anti-dumping duty on imports of PUI, PUI II and PUI III from China PR in accordance with the Rule 27 (3) of the Rules. The Authority, therefore recommends provisional assessment on all imports of the PUI 1, PUI 2 and PUI 3 from China PR from the date of initiation of investigation.

G. PERIOD OF INVESTIGATION

12. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2021 to 31st March 2022 (12 Months) and the injury period will cover the periods 1st April 2018 – 31st March 2019, 1st April 2019 – 31st March 2020, 1st April 2020 – 31st March 2021 and the period of investigation.

H. CIRCUMVENTING COUNTRIES

13. The country involved in the circumvention of the anti-dumping duty in force is China PR.

I. SUBMISSION OF INFORMATION

14. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to investigating team via email at email address dd13-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to supervisor and mentor adg13-dgtr@gov.in adv12-dgtr@gov.in and dgtr-india@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
15. The exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.
16. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below.
17. Any party making any confidential submission before the Authority is required to submit a non-confidential version of the same, to be made available to the other parties.
18. All the interested parties are requested to keep a track of the investigation via DGTR's website <https://www.dgtr.gov.in/>.

J. TIME-LIMIT

19. Any information relating to the present investigation should be sent to the investigating team via email at the email addresses dd13-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in with a copy to supervisor and mentor adg13-dgtr@gov.in, adv12-dgtr@gov.in and dgtr-india@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is

incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

K. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

21. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.
22. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.
23. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.
24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.
26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

L. INSPECTION OF PUBLIC FILE

29. A list of all registered interested parties will be uploaded on DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file will not be accessible physically due to ongoing global pandemic.

M. NON-COOPERATION

30. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority